राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

जयपुर, दिनांक: 11/06/2015

क्रमांकः एफ 7 (2)( ) रा.छा./सान्याअवि/15/ 33665

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः विज्ञप्ति प्रकाशन करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संलग्न विज्ञप्ति को राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका के राज्य स्तरीय संस्करणों में शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार मय सीडी।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (छात्रावास)

क्रमांकः एफ 7 (2)( ) रा.छा./सान्याअवि/15/ 33666-67 जयपुर, दिनांक: 11/06/2015

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं:–

1. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति का शीघ्र जारी करवाने का श्रम करावें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति को शीघ्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।

सहायक निदेशक (छात्रावास)

–प्रेस विज्ञप्ति–

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरंभ

1.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित समस्त राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों /आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2015–16 से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सामान्य दिशा–निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट http:// sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

2.आवेदन प्रक्रिया:–

1.विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र sjms.rajasthan.gov.in एवं http:// sje.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित किये जायेगें।

2.छात्रावासों/आवासीय में आवासित विद्यार्थियों को भी प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष ई–मित्र, कियोस्क,साइबर कैफे, निजी इटरनेट आदि के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

3.एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों के लिये ऑन लाईन कर सकेगा।

3.प्रवेश हेतु पात्रता:–

1.आवेदन हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 7 वर्ष एवं गत परीक्षा में उर्त्तीण होना आवश्यक।

4.प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज–ई.मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर/यू.आई.डी. अथवा आधार ई.आई.डी. रसीद, भामाशाह कार्ड नम्बर अथवा भामाशाह रजिस्ट्रेशन नम्बर, मूल निवास प्रमाण–पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका, जाति प्रमाण–पत्र, बीपीएल प्रमाण–पत्र (केवल बीपीएल के लिये), नि:शक्तता प्रमाण–पत्र (केवल विशेष योग्यजन के लिये), आय प्रमाण–पत्र (गैर बीपीएल हेतु), माता और पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र (केवल अनाथ बालक/बालिका के लिये), पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिये), पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र (विधवा आवेदकों के लिये),राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण–पत्र (केवल निष्क्रमणीय पशुपालको के आवासीय विद्यालय के लिये) एवं राज्य के भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवार होने का प्रमाण–पत्र (केवल भिक्षावृति व अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिये)।

- उक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति संलग्न करनी होगी।
- स्कैन्ड फाईल आवश्यक दस्तावेज सहित ऑन लाईन करनी होगी।
- फाईल का आकार 200 के.बी. से कम होना चाहिये।

5.प्रवेश हेतु नियत समयावधि: –

1.विभागीय छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में 25 जून, 2015 तक पूर्व से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले आवासरत विद्यार्थियों को एवं अनाथ, विधवा, परित्यक्तया, विशेष योग्यजन, बीपीएल आदि को प्रवेश दिया जायेगा।

2.स्थान रिक्त रहने पर 26 जून से 05 जुलाई, 2015 तक पूर्व से आवासर 50 प्रतिशत से कम प्रप्तांक एवं 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक/बालिका को प्रवेश दिया जायेगा।

3.स्थान रिक्त रहने पर 06 जुलाई से 15 जुलाई, 2015 तक किसी भी श्रेणी के 2.50 वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक/बालिका को प्रवेश दिया जायेगा।

4.स्थान रिक्त रहने पर 15 जुलाई, 2015 के उपरान्त **"पहले आओ पहले पाओ"** व्यवस्थान्तर्गत प्रवेश दिया जायेगा।

निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर